

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-322/सेक-2-पाँच-16-4(28)/2016  
लखनऊ :: दिनांक : 29 अगस्त, 2016  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 कुर्वर सेन (वरिष्ठता क्रमांक-7575), कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ मण्डल, अलीगढ को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 कुर्वर सेन को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

संख्या-322/ (1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।
- 6- जिलाधिकारी, मेरठ।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 8- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ/मेरठ मण्डल।
- 9- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।
- 10- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ।
- 11- कोषाधिकारी, अलीगढ/मेरठ।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 13- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या- 3222/सेक-2-पाँच-16-4(195)/2016  
लखनऊ :: दिनांक : 29 अगस्त, 2016  
**कार्यालय-ज्ञाप**

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 मंजू यादव (वरिष्ठता क्रमांक-7327), जिला क्षय रोग अधिकारी, गाजियाबाद को निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, 100 शैय्यायुक्त क्षयरोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


- 2- डा0 मंजू यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**विनोद कुमार सिंह**  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- 3222 (1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक.**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।
- 6- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 7- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/गोरखपुर मण्डल।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
- 9- जिला क्षय रोग अधिकारी, गाजियाबाद।
- 10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, 100 शैय्यायुक्त क्षयरोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर।
- 11- कोषाधिकारी, गाजियाबाद/गोरखपुर।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 13- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-323/सेक-2-पाँच-16-4(180)/2016

लखनऊ :: दिनांक : 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 अखिलेश्वर कुमार दुबे (वरिष्ठता क्रमांक-8614), अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ को निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 अखिलेश्वर कुमार दुबे को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।


3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण किये जाने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

संख्या-323 (1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।
- 6- जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
- 8- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ/वाराणसी।
- 9- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ/वाराणसी।
- 10- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी।
- 11- कोषाधिकारी, आजमगढ/वाराणसी।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 13- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आजा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-3224/सेक-2-पाँच-16-4(162)/2016

लखनऊ :: दिनांक : 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा० रामवीर सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-9655), अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ के एस०एन०सी०यू० में वरिष्ठ परामर्शदाता (बालरोग विशेषज्ञ) के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा० रामवीर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।


3- स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किये जाने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

संख्या-3224 (1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, लखनऊ।
- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर/मेरठ मण्डल।
- 7- प्रमुख अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 9- कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर/मेरठ।
- 10- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 11- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)  
उप सचिव।

५

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-3230 /सेक-2-पाँच-16-5(8)/2015  
लखनऊ :: दिनांक : 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2073/सेक-2-पाँच-15-5(8)/2015, दिनांक 30.06.2015 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 देवी शंकर मिश्रा (वरिष्ठता क्रमांक-8472क), वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला कारागार चिकित्सालय, पीलीभीत के पद पर तैनात किया गया है।

2- सम्यक विचारोपरान्त डा0 देवी शंकर मिश्रा का वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला कारागार चिकित्सालय, पीलीभीत के पद पर किये गये तैनाती आदेश को संशोधित करते हुए निजी अनुरोध पर उन्हें वरिष्ठ परामर्शदाता, 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, छिबरामऊ, कन्नौज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 देवी शंकर मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराएं।


4- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण किये जाने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3230 (1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, सम्भल।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद/बरेली/कानपुर मण्डल।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल/100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, छिबरामऊ, कन्नौज।
- 7- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
- 8- कोषाधिकारी, सम्भल/पीलीभीत/कन्नौज।
- 9- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)  
उप सचिव।